न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

ओमप्रकाश बनाम तहसीलदार श्रीमाधोपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज दावा मु.नं. 61/2023	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
18.10.23	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण व वकील तरतीबी प्रतिवादीगण उपस्थित। प्रकरण में बहस बहुपक्षयीय सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत् उद्‌घोषणा, दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार कर वादपत्र डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों। 18/10/23 (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:28:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
61 / 2023	2023 / 135	18.04.2023	18.10.2023

उनवान प्रकरण

1. औमप्रकाश पुत्र किशनलाल आयु 62 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी छापड़ा खुर्द तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान।

—— वादी——

बनाम

1. तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

——प्रतिवादी——

2. पुष्पा देवी पुत्री किशनलाल
3. गायत्री पुत्री किशनलाल
4. विनिता पुत्री किशनलाल

   समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण छापड़ा खुर्द तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान।

—— तरतीबी प्रतिवादीगण ——

उपस्थित : –

श्री आदित्य प्रताप सिंह नरूका एड0, वादी अभिभाषक।
श्री अमर शर्मा एड0 तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से।

वादपत्र बाबत् उद्घोषणा, दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड एवं स्थायी निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:28:20 IST
Reason: SelfAttested

——:: निर्णय ::——

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर नम्बर 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679 कुल किता 7 कुल रकबा 1.63 हैक्टर तन् ग्राम भानीपुरा पटवार हल्का रायपुर जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है। जिसकी

18/10/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

ख़ातेदारी वादी एवं तरतीबी पक्षकारगण के मृतक दादा लक्ष्मीनारायण व उनके मृतक भाईयों बालचन्द व हरिशंकर के नाम से चली आ रही है। उक्त भूमि वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण की पैतृक कृषि भूमि है। वादी के दादा लक्ष्मीनारायण तीन भाई थे। जिनमें से दो भाई हरिशंकर, बालचन्द नाऔलाद फौत हो गये थे। जिनके वादी व तरतीबी पक्षकारगण नम्बर 2 ता 4 के अलावा अन्य कोई कानूनी वारिस नहीं है। उक्त भूमि की खातेदारी मृतक लक्ष्मीनारायण हरिशंकर व बालचन्द के नाम से चली आ रही हैं। उक्त सम्पूर्ण भूमि को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादी व तरतीबी पक्षकारगण अपने नाम करवाने के अधिकारी है। इस कारण उक्त लम्बे कब्जे के आधार पर विपरीत कब्जा के आधार पर भी वादी एवं तरतीबी पक्षकारगण कानूनन उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार हो चुके है ओर उक्त खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के वादी एवं तरतीबी पक्षकारगण कानूनन अधिकारी है। वादी एवं तरतीबी पक्षकारगण उक्त घोषणा के अभाव में वक्त बुजुर्गान के समय से कब्जा काश्त में चली आ रही कृषि भूमि का समुचित विकास नही कर पा रहा है तथा समय–समय पर भू–धारकों को मिलने वाली राजीकय सहायतओं से भी वादी एवं तरतीबी पक्षकारगण वंचित हो रहे है। अतः वादी ने कृषि भूमि खसरा नम्बर नम्बर 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679 कुल किता 7 कुल रकबा 1.63 हैक्टर तन् ग्राम भानीपुरा पटवार हल्का रायपुर जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान का वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण नम्बर 2 ता 4 को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमि से मृत्तक लक्ष्मीनारायण व मृत्तक बालचन्द व हरिशंकर का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ फरमाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त फरमाये जाने एवं उक्त भूमि में वादी एवं तरतीबी पक्षकारान के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त, उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा ने स्वयं करे ना दीगर से करावें, ना ही जोर जबरन बेदखल करे, ना ही कृषि भूमि को अकृषि में तब्दील करे, ना ही राजस्व रिकॉर्ड परिवर्तन करवाये, ना ही ऐसा को कोई कृत्य करे या करावे जिससे वादी के विधिक हक हकूको पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो, प्रतिवादी [illegible] जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद [illegible] किया।

इस पर वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण/तरतीबी प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक/साधारण तरीके से सम्मन/नोटिस तलब किये जाने के आदेश दिये गये थे, परन्तु न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर जारी कर वादपत्र में वर्णित तथ्यों की

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:28:20 IST
Reason: SelfAttested

तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट चाही जाने पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से पत्रांक भू.अ./23/1760 दिनांक 03.10.2023 द्वारा चाही गयी तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट पेश कर दिये जाने तथा तरतीबी पक्षकारगण नम्बर 2 ता 4 की ओर से भी अधिवक्ता श्री अमर शर्मा एड० द्वारा वकालतनामा पेश हो जाने से प्रतिवादी संख्या 1 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की तामिल करवायी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वादी के मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र व गवाह/साक्ष्य में औमप्रकाश पुत्र किशनलाल आयु 62 वर्ष जाति ब्राह्मण, प्रहलाद सहाय पुत्र रामकरण आयु 35 वर्ष जाति जाट, रामकरण जाट पुत्र गणपत लाल जाति जाट आयु 59 वर्ष के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश हुये व वादी ने अपना सजरा खानदान का शपथ पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली रहे। वकील वादी व पक्षकारान ने वादपत्र में बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से पालना रिपोर्ट पेश कर दिये जाने व साक्ष्य वादी/गवाहान के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश कर दिये जाने से तनकीयात कायम नहीं की जाकर सीधे ही वकील वादी व पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादी व पक्षकारान द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसला आधार जमाबंदी संवत् 2074–2077 जमाबंदीं, तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट, साक्ष्य वादी के मुख्य परीक्षण में पेश लिखितशुदा शपथ पत्र इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से राजस्व ग्राम भानीपुरा के खसरा नम्बर 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679 कुल किता 7 कुल रकबा 1.63 हैक्टर किस्म चाही 2 बालचन्द, लक्ष्मीनारायण, हरिशंकर पुत्र सुखदेव हिस्सा पूर्ण के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज है। मौका स्थिति पर पहुँच कर आस–पास के खातेदारों व मौका स्थित पर मौजिजा लोगों के बताये अनुसार उक्त भूमि पर कब्जा काश्त वर्षो से औमप्रकाश पुत्र किशनलाल जाति ब्राह्मण निवासी छापड़ा खुर्द तहसील शाहपुरा जिला जयपुर का है और मौका स्थिति पर आस–पास के खातेदारों से कोई विवाद नहीं है। बालचन्द, हरिशंकर पुत्र सुखदेव नाऔलाद फौत हो गये है। अतः कृषि भूमि खसरा नम्बर 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679 कुल किता 7 कुल रकबा 1.63 हैक्टर तन् ग्राम भानीपुरा पटवार हल्का [illegible] तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान का वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण नम्बर 2 ता 4 को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमि से मृत्तक लक्ष्मीनारायण व मृत्तक बालचन्द व

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:28:20 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (जिला सीकर)

हरिशंकर का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ फरमाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना प्रकट होता है। उक्तानुसार राजस्व अभिलेख को दुरूस्त किये जाने हेतु वादपत्र को स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

——:: क्रियात्मक आदेश ::——

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत् उद्‌घोषणा, दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड एवं स्थायी निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679 कुल किता 7 कुल रकबा 1.63 हैक्टर तन् ग्राम भानीपुरा पटवार हल्का रायपुर जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला [redacted]कर राजस्थान का वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण नम्बर 2 ता 4 को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमि से मृत्तक लक्ष्मीनारायण व मृत्तक बालचन्द व हरिशंकर का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एवं राजस्व अपवंचना की जॉच कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखित दफ्तर हो।

18/10/23
(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर

यह निर्णय आज दिनांक **18.10.2023** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/10/23
(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:28:20 IST
Reason: SelfAttested